मि. सं. 29-24/20**2**2-स्थापना/आर.टी.आई.

भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग विस्तार निदेशालय

> कृषि विस्तार भवन, आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली—110012 दिनांकः2 १ नवंबर,, 2022

सेवा में.

Shri Sourav Daripa Flat No. B2, Abhishek Apartment, Palashtala PO Junbedia, PS Bankura-722155 (West Bengal).

Email: sourav.daripa@gmail.com

विषय:—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना की आपूर्ति—विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए श्री० सौरव दरिपा, पश्चिम बंगााल, से प्राप्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में सूचना देने से संबंधित (पंजीकरण संख्या DOEXT/R/T/22/00089 दिनांक 01.11.2022)

महोदय,

कृपया अपने आर.टी.आई अनुरोध उक्त पंजीकरण संख्या का अवलोकन करें जिसमें आर.टी.आई अधिनियम **2005** के तहत उपरोक्त विषय पर विस्तार निदेशालय से संबंधित सूचना निम्नवत् है :-

उपरावत विषय पर विस्तार विवेदालय से सवावत सूचना विकास है :-	
मॉगी गई जानकारी	<u> </u>
Please provide information about the provision of disbursement	In so far as Directorate of Extension's
of remuneration of ATMA Functionaries like	ATMA Scheme is concerned, as per
ATM/BTM/CP/Accountant-cum-Clerk who are recruited by the	Department of Expenditure's O.M. dated
Department of Agriculture, Govt. of WB directly, not by	23 <sup>rd</sup> March, 2021, all transactions in
outsourcing. Is their any obligation to disburse their	Centrally Sponsored Scheme will be
remuneration in PFMS from District end or it is mandatory to	carried out through SNA account in PFMS.
disburse their remuneration in PFMS under child agency i.e. FIAC	It is also to inform you that SNA concept
account in the scheme-Support to State Extension Programme	has been implemented in Centrallly
for Extension Reforms Scheme (popularly known as Agricultural	sponsored Scheme w.e.f. 1st July, 2021.
Technology Management Agency)i.e. ATMA Scheme.	

आपको सूचित करना है कि केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के उत्तर के खिलाफ प्रथम अपील, यदि कोई हो, करने के लिये यह उत्तर प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीली प्राधिकारी को अपील किया जा सकता है। प्रथम अपीली प्राधिकारी का विवरण निम्नवत् है :--

डा. शैलेश कुमार मिश्र, निदेशक (विस्तार), विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कमरा संख्या 216, कृषि विस्तार भवन, आई.ए.एस.आर.आई. कैम्पस, पूसा, नई दिल्ली—110 012, दूरभाष:— 011—25847660 व ई—मेल पता:—shailesh.mishra29@gov.in

मवदीया ०००

उप निदेशक (प्रशासन एवं सी.पी.आइ.ओ.)

दूरभाष:- 011.25846467

ई-मेल:- deepa.pande65@gov.in

## प्रतिलिपि:-

- 1. अवर सचिव (विस्तार व सी.पी.आई.ओ.), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
- 2. अनुभाग अधिकारी ( आर.टी.आई ), आर.टी.आई सैल, कृषि भवन, नई दिल्ली
- 3. श्री जगदीश प्रसाद यादव, संयुक्त निदेशक/आई.टी. इंचार्ज, कृषि विस्तार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त जबाव को विस्तार निदेशालय की वेबसाईट <u>www.krishivistar.gov.in</u>. पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।